

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)b के तहत

आर०एम० वाद सं०-29/2017-18

घासीराम महतो.....विक्रेता

बनाम

वाउरी देवी.....क्रेता

19/10/22

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनाहातु के द्वारा इस वाद में जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। उक्त वाद में विक्रेता एवं क्रेता को इस न्यायालय के ज्ञापांक-1021(ii)/रा० दिनांक-30.09.2022, एवं ज्ञापांक-1075(ii)/रा० दिनांक-10.10.2022, के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। जिसके पश्चात भी विक्रेता/क्रेता न्यायालय में अनुपस्थित है। विक्रेता घासीराम महतो पिता-धनो महतो, ग्राम-सेरेंगहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-खेती, एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्योधन महतो द्वारा इस अनुमति वाद में किसी भी तरह की पैरवी नहीं की जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि विक्रेता/क्रेता को इस अनुमति वाद में किसी प्रकार की कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः ऐसी परिस्थित में उपरोक्त अनुमति की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
सेरेंगहातु	सोनाहातु/	70	1342	57 मध्ये 10 डी०
		112	1342	30 मध्ये 07½ डी०
			1346	34 मध्ये 17 डी०
		140	1486	18 मध्ये 09½ डी०

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।